अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर।

पत्रांक 1313/क्रम 2016 दिनांक : 19/8/2016

सेवा में,

Reliance Jio
Info Comm Limited.
Rohtas "K" Trident 2nd Floor.10
Rana pratap Marg.
Lucknow. 226001

विषय— रा0मा0 संख्या—96/330 के कि0मी0 95.500 से 109.00 मे मध्य रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 द्वारा ओ0एफ0सी0 केविल **HDD** पद्धति से जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:— मुख्य अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 लखनऊ का पत्रांक 2475एन0एच0/868 एन0टी0सी0/2008 दिनांक—24.07.2016

......

मुख्य अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा दिये गये अनुमोदन के पश्चात् निम्न शर्तों/प्रतिबन्धो सहित कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1— सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रसंख्या RW/NH-33044/27/2005-S&R (R) (PT) दिनांक 06/07.08.2013 द्वारा जारी गाईड लाइन में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही कार्य सम्पादित कराया जाये ।

2— कार्य सम्पादित होने के उपरान्त् एजेन्सी अपने स्वयं के व्यय पर मार्ग को मूल स्वरूप में लाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित् करेगी।

3— पिट बनाये जाने एवं HDD पद्धति से केविल डालते समय यदि किसी अन्य विभाग /फर्म की यूटिलिटी सर्विस को क्षति पहुचती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनी का होगा एवं क्षतिपूर्ति एवं अन्य व्यय स्वयं फर्म/कम्पनी द्वारा ही किया जाएगा।

4— ओ0एफ0सी0 केविल मंत्रालय की गाइड लाईन दिनांक 06/07.08.2013 के अनुसार मार्ग के ROW की बाउन्ड्री लाइन पर ही डाली जाये।

5— भविष्य में मार्ग के चौडीकरण हेतु जब भी आवश्यकता होगी तो फर्म 21 दिवस के अन्दर अपने स्वयं के व्यय पर ओ0एफ0सी0 केविल शिफ्ट करेगी जिसके हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम/दावा मान्य नही होगा।

6— ओ0एफ0सी0 केविल हेतु पिट बनाये जाने एवं HDD पद्धति से केविल डालते समय कार्य स्थल पर आवश्यक सुरक्षा के प्रबन्ध फर्म द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। तथा यद्यपि कोई अप्रिय दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व फर्म का ही होगा। इसके लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा।

7— मंत्रालय की गाइड लाईन का अनुपालन न किये जाने की दशा में अनुबन्ध/सहमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

8— अनुबन्ध गठित करने के दिनांक से 6 (छः) माह के अन्दर कार्य अवश्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित् किया जायें।

यथोक्त शर्तों में से किन्ही एक का भी पालन न किये जाने की दशा में अनुबन्ध स्वतः समाप्त माना जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर

पत्रांक: दिनांक:

प्रतिलिपि:—

1— मुख्य अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 लखनऊ का पत्रांक 2475एन0एच0/868 एन0टी0सी0/2008 दिनांक—24.07.2016 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2— अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 लखनऊ की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3— सहायक अभियन्ता/अवर अभि0 (प्रा0)को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर।

पत्रांक 312/काम/2016 — दिनांक : 19-8-2016

सेवा में,

Reliance Jio
Info Comm Limited.
Rohtas "K" Trident 2nd Floor.10
Rana pratap Marg.
Lucknow. 226001

विषय— रा0मा0 संख्या—96/330 के कि0मी0 169.00 से 142.00 मे मध्य रिलायन्स जियो इन्फोकाम लि0 द्वारा ओ0एफ0सी0 केबिल HDD पद्धति से जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ— मुख्य अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 लखनऊ का पत्रांक 2476 एन0एच0/868 एन0टी0सी0/2008 दिनांक—24.07.2016

......

मुख्य अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 लखनऊ द्वारा दिये गये अनुमोदन के पश्चात् निम्न शर्तों/प्रतिबन्धो सहित कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1 - सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रसंख्या RW/NH-33044/27/2005-S&R (R) (PT) दिनांक 06/07.08.2013 द्वारा जारी गाईड लाइन में दिये गये निर्देशो के अनुसार ही कार्य सम्पादित कराया जाये।

2 - कार्य सम्पादित होने के उपरान्त् एजेन्सी अपने स्वयं के व्यय पर मार्ग को मूल स्वरूप में लाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित् करेगी।

3— पिट बनाये जाने एवं HDD पद्धति से केबिल डालते समय यदि किसी अन्य विभाग /फर्म की यूटिलिटी सर्विस को क्षति पहुंचती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/कम्पनी का होगा एवं क्षतिपूर्ति एवं अन्य व्यय स्वयं फर्म/कम्पनी द्वारा ही किया जाएगा।

4— ओ0एफ0सी0 केबिल मंत्रालय की गाइड लाईन दिनांक 06/07.08.2013 के अनुसार मार्ग के ROW की बाउन्ड्री लाइन पर ही डाली जाये।

5— भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण हेतु जब भी आवश्यकता होगी तो फर्म 21 दिवस के अन्दर अपने स्वयं के व्यय पर ओ0एफ0सी0 केबिल शिफ्ट करेगी जिसके हेतु किसी भी प्रकार का क्लेम/दावा मान्य नही होगा।

6 - ओ0एफ0सी0 केबिल हेतु पिट बनाये जाने एवं HDD पद्धति से केबिल डालते समय कार्य स्थल पर आवश्यक सुरक्षा के प्रबन्ध फर्म द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। तथा यद्यपि कोई अप्रिय दुर्घटना घटित होती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व फर्म का ही होगा। इसके लिए विभाग जिम्मेदार नही होगा।

7 - मंत्रालय की गाइड लाईन का अनुपालन न किये जाने की दशा मे अनुबन्ध/सहमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

8 - अनुबन्ध गठित करने के दिनांक से 6 (छः) माह के अन्दर कार्य अवश्य पूर्ण किया जाना सुनिश्चित् किया जायें।

यथोक्त शर्तों में से किन्ही एक का भी पालन न किये जाने की दशा में अनुबन्ध स्वतः समाप्त माना जाएगा।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर

पत्रांक: — दिनांक:

प्रतिलिपि:—

1 — मुख्य अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 लखनऊ का पत्रांक 2476एन0एच0/868 एन0टी0सी0/2008 दिनांक—24.07.2016 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2— अधीक्षण अभियन्ता रा0मा0 लो0नि0वि0 लखनऊ को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3 — सहायक अभियन्ता/अवर अभि0 (प्रा0)को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड (रा0मा0), लो0नि0वि0,
सुलतानपुर

कार्यालय नगर पंचायत खेतासराय जौनपुर,

सेवा में,

हेड प्राजेक्ट,
रिलायंश जीओ लिमिटेड,
लखनऊ।

पत्रांक /न0पं0खेता0/2016–17 दिनांक:

विषयः–**खेतासराय पी0डब्लू0डी0 रोड दूरी 2.5 कि0मी0 अन्डर ग्राउन्ड केबिल बिछाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में आपको अवगत कराना है कि खेतासराय पी0डब्लू0डी0 रोड पर जिसकी दूरी 2.5 कि0मी0 हैं। अन्डर ग्राउन्ड केबिल ड्रिलिंग (मैनुवल/मशीन) विधि द्वारा डालने हेतु रू0 4,42,000.00 चार लाख बयालिस हजार की धनराशि "अधिशासी अधिकारी" नगर पंचायत खेतासराय के पक्ष में जमा करने का कष्ट करें। ताकि रोड कटिंग करने की अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

नोटः– रोड कटिंग करते समय पाइप लाइन छतिग्रस्त होने पर एवं सड़क कटिंग होने पर आपको तत्काल बनवाना पडेगा। अथवा नगर पंचायत में छतिग्रस्त चार्ज जमा करना पडेगा। तथा उक्त जमा धनराशि के अतिरिक्त चार्ज देना पडेगा।

निर्मला
अध्यक्ष
नगर पंचायत खेतासराय
जौनपुर

अधिशासी अधिकारी 16/05/016
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत खेतासराय

अध्यक्ष
नगर पंचायत खेतासराय
जौनपुर

पत्रांक /न0पं0खेता0/2016–17 दिनांक:

प्रतिलिपिः– अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खेतासराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अधिकारी 16/05/016
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत खेतासराय

अध्यक्ष
नगर पंचायत खेतासराय
जौनपुर